

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(वित्त एवं व्यय)

वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 07/2017

माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/ अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. इस कार्यालय के परिपत्र 1/2009, दिनांक 26/02/2009, परिपत्र सं. 10/2009 दिनांक 17/09/2009, सं. 1/2011, दिनांक 05/01/2011, परिपत्र संख्या 14/2011 दिनांक 29/11/2011 14/02/2012 के परिपत्र संख्या 07/2012 और दिनांक 11/08/2014 के परिपत्र संख्या 12 के अधिक्रमण में बाह्य रोगी विभाग उपचार (ओपीडी) पर व्यय की वार्षिक सीलिंग के संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन देते हैं, श्रेणी-III एवं IV के स्टॉफ के संबंध में मासिक चिकित्सा भत्ता और सभी सेवारत साथ ही साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में मासिक चिकित्सा योगदान निम्न प्रकार हैं-

क्र.सं.	01.01.1986 से वेतनमान	01.01.1996 से		वेतन/बैंक स्केल	छठे सीपीसी का तदअनुरूपी पे बैंड/वेतनमान	समरूपी ग्रेड पे	मौजूदा, प्रस्तावित वार्षिक सीलिंग, मासिक चिकित्सा अंशदान, मासिक चिकित्सा भत्ता
		पद/ग्रेड तथा वेतनमान	ग्रेड				
1	2	3	4	5	6	7	8
2	775-12-871-12- 1025	एस-2	2610-60- 3150-65- 3540	-15	4440-7440	1400	क्र.सं. 1 से 4 के लिए (ग्रेड-डी) रुपये- 10800/- रुपये- 13500/- रुपये- 25/- रुपये- 50/- रुपये- 470 /- रुपये- 590/-
3	775-12871-14- 955-15-1030-20- 1150	एस-2ए	2610-60- 2910-65- 3300-70- 4000	-15	4440-7440	1600	
4	800-15-1010-20- 1150	एस-3	2650-65- 3300-70- 4000	-15	4400-7440	1650	

5	825-15-900-20-1200	एस-4	2750-70-3800-75-4400	कार्मिक शाखा-1	5200-20200	1800	क्र.स. 5 से 9 के लिए (ग्रेड-सी) रुपये-14,400/- रुपये-18000/- रुपये-60/- रुपये-125/- रुपये-610/- रुपये-765/-
6	950-20-1150-25-1400-950-20-1150-25-1500-1150-25-1500	एस-5	3050-75-3950-80-4590	कार्मिक शाखा-1	5200-20200	1900	
7	975-25-1150-30-1540-975-25-1150-30-1660	एस-6	3200-85-4900	कार्मिक शाखा-1	5200-20200	2000	
8	1200-30-1440-30-1800-1200-30-1560-40-2040-1320-30-1560-40-2040	एस-7	4000-100-6000	कार्मिक शाखा-1	5200-20200	2400	
9	1350-30-1440-40-1800-50-2200-1400-40-1800-50-2300	एस-8	4500-125-7000	कार्मिक शाखा-1	5200-20200	2800	
10	1400-40-1600-50-2300-60-2600-1600-50-2300-60-2600	एस-9	5000-150-8000	कार्मिक शाखा-2	9300-34800	4200	क्र.सं. 10 से 16 के लिए (ग्रेड-बी) रुपये-21,600/- रुपये-27,000/- रुपये-100/- रुपये-225/- लागू नहीं।
11	1640-60-2600-75-2900	एस-10	5500-175-9000	कार्मिक शाखा-2	9300-34800	4200	
12	2000-60-2120	एस-11	6500-200-6900	कार्मिक शाखा-2	9300-34800	4200	
13	2000-60-2300-75-3200-2000-60-2300-75-3200-3500	एस-12	6500-200-10500	कार्मिक शाखा-2	9300-34800	4200	

14	2375-75-3200- 100-3500-2375- 75-3200-100- 3500-125-3750	एस-13	7450- 225- 11500	कार्मिक शाखा-2	9300-34800	4600	क्र.स.17 से 31 के लिए (ग्रेड-क) रुपये-28,800/- रुपये-36000/- रुपये-150/- रुपये-325/- लागू नहीं।
15	2500-4000	एस-14	7500- 250- 12000	कार्मिक शाखा-2	9300-34800	4800	
16	2200-75-2800- 100-4000-2300- 100-2800	एस-15	8000- 275- 13500	कार्मिक शाखा-2	9300-34800	5400	
17	2200-75-2800- 100-4000	नया स्केल	8000- 275- 13500 समूह क प्रविष्टि	कार्मिक शाखा-3	15600-39100	5400	
18	2630/-निर्धारित	एस-16	9000	कार्मिक शाखा-3	15600-39100	5400	
19	2630-75-2780	एस-17	9000- 275- 9550	कार्मिक शाखा-3	15600-39100	5400	
20	3150-100-3350	एस-18	10325- 325- 10975	कार्मिक शाखा-3	15600-39100	6600	
21	3000-125-3625- 3000-100-3500- 125-4500-3000- 100-3500-125- 5000	एस-19	10000- 325- 15200	कार्मिक शाखा-3	15600-39100	6600	
22	3200-100-3700- 125-4700	एस-20	10650- 325- 15850	कार्मिक शाखा-3	15600-39100	6600	
23	3700-150-4450- 3700-125-4700- 150-5000	एस-21	12000- 375- 16500	कार्मिक शाखा-3	15600-39100	7600	

24	3950-125-4700- 150-5000	एस-22	12750- 375- 16500	कार्मिक शाखा-3	15600-39100	7600	
25	3700-125-4950- 150-5700	एस-23	12000- 375- 18000	कार्मिक शाखा-3	15600-39100	7600	क्र.स. 17 से 31 के लिए (ग्रेड-क) रुपये-28,800/-
26	4100-125-4850- 150-5300-4500- 150-5700	एस-24	14300- 400- 18300	कार्मिक शाखा-4	37400-67000	8700	रुपये-36000/- रुपये-150/- रुपये-325/-
27	4800-150-5700	एस-25	15100- 400- 18300	कार्मिक शाखा-4	37400-67000	8700	लागू नहीं।
28	5100-150-5700- 5100-150-6150- 5100-150-5700- 200-7300	एस-26	16400- 450- 20000	कार्मिक शाखा-4	37400-67000	8900	
29	5100-150-6300- 200-6700	एस-27	16400- 450- 20900	कार्मिक शाखा-4	37400-67000	8900	
30	4500-150-5700- 200-7300	एस-28	14300- 450- 22400	कार्मिक शाखा-4	37400-67000	10000	
31	5900-200-6700- 5900-200-7300	एस-29	18400- 500- 22400	कार्मिक शाखा-4	37400-67000	10000	
32	7300-100-7600	एस-30	22400- 525- 24500	कार्मिक शाखा-4	37400-67000	12000	वास्तविक सदस्यों के अनुसार क्रम संख्या-32 लागू नहीं।

बाह्य रोगी विभाग, वार्षिक-सीमा में वृद्धि और मासिक अंशदान (उस पर कटौती), दोनों 01 अप्रैल 2017 से लागू होंगे। संक्षेप में, वृद्धि के लिए चिकित्सा काउन्टर और कटौती के लिए सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(संतोष कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा.